

This is a digitally signed gazette, to verify click here.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 9 मार्च, 2011/18 फाल्गुन, 1932

# हिमाचल प्रदेश सरकार

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सराहन एवं उप—मण्डल अधिकारी, रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश अधिसूचना

रामपुर, 29 मई, 2009

# सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग को अपनाने हेतू सूचना

संख्या हिम/एस०डी०टी०पी०/आर०पी०बी०/साडा—सराहन/08—51.—एतद् द्वारा यह सूचना की जाती है कि सराहन विशेष क्षेत्र में सम्मिलत अतिरिक्त क्षेत्र हेतू वर्तमान भूमि उपयोग तैयार करके दिनांक 19 फरवरी, 2007 को राजपत्र में जनता की आपित्तयों एवं सुझावों हेतू हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम 12वॉ) की धारा—15 की उप धारा—1 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था। वर्तमान भूमि उपयोग के मानचित्र व रिजस्टर की प्रतियॉ निरीक्षण हेतू सहायक नगर योजनाकार, उप मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, रामपुर, उप—मण्डल अधिकारी (न0) रामपुर व पंचायत घर, ग्राम पंचायत सराहन के कार्यालयों में निरीक्षण हेतू रखी गई थी। जो आपित्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें उपरोक्त विशेष क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग सम्बन्धी मानचित्र व रिजस्टर में समाविष्ट कर दिया गया है।

# In the Court of Shri Layak Ram Negi, Sub-Divisional Magistrate Shimla(R), District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Roshan Lal s/o Late Shri Budhi Ram, r/o Khanwag, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt. Shimla (H. P.) ... *Applicant*.

Versus

General Public ...Respondent.

Whereas Shri Roshan Lal s/o Late Shri Budhi Ram, r/o Vill. Khanwag, P. O. Khatnol, Tehsil Suni, Distt. Shimla has filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 13 of the Births and Deaths Registration Act, 1969 to enter Death date of his mother named Late Smt. Murutu Devi in the Parivar Register in Gram Panchayat Khatnol. The Gram Panchayat Khatnol has stated no objection n to register the names of the applicant vide resolution No. 18 dated 12-3-2011.

S1.	Name of the family members	Relation	Date of death
No.			
1.	Murutu Devi	w/o Late Shri Budhi Ram,	5-4-1980
		r/o Khatnol G. P. Khanwag.	

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding registration of names of the applicant may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Government Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Given today 7th march, 2011 under my signature and seal of the court.

Seal.

LAYAK RAM NEGI, Sub-Divisional Magistrate Shimla(R), District Shimla, Himachal Pradesh.

"निर्वाचन विभाग"

# अधिसचना

शिमला-171009, 9 मार्च, 2011

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:6—7 / 2011—ई.एल.एन., दिनांक 9 मार्च, 2011 को अंग्रेजी रुपान्तर सहित, और भारत सरकार, विधि और न्याय मन्त्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या 451, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 तदानुसार भाद्र 31, 1932 (शक) को केवल अंग्रेजी में तथा अधिसूचना संख्याः 204, दिनांक 3 फरवरी, 2011 तदानुसार माघ 14, 1932 (शक) जो कि प्रवासी निर्वाचक के पंजीकरण के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रुपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संख्याः 6-7 / 2011-ई, एल. एन.,

दिनांकः शिमला-171009, 9 मार्च, 2011

# "मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य "

अधिसूचना

9 मार्च. 2011

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के अधीन लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010, जो 10 फरवरी, 2011 से प्रवृत हुआ है, द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तःस्थापित धारा 20क के अधीन प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक अर्थात् भारतीय नागरिक, जो नियोजन, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है तथा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित (दर्ज) नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ भारत में उनका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा कि उसके पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में अपनानाम रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का हकदार है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 8क के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक, जिसका भारत में निवास स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जिसने 01—01—2011 को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा वह अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करवाने का इच्छुक है, को एतद्द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें उसका निवास स्थान अवस्थित है, जैसा पासपोर्ट में दर्शाया गया है, की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत (दर्ज) करने के लिए प्ररूप 6क में दावा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आवेदकों के लिए दिशा—निर्देशों सहित प्ररूप 6क नीचे दिया गया है। प्ररूप 6क में दावा आवेदन सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से सीधे प्रस्तुत किया जायेगा या ऐसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को डाक द्वारा प्ररूप 6क तथा दिशा निर्देशों में यथा वर्णित दस्तावेजों सहित भेजा जायेगा। जब दावा आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है, तो यह पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटोप्रतियों, जो सम्बद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित हों, सहित भेजा जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक अड़सठ निर्वाचन विधान सभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पते वेबसाइट "http://ceohimachal.nic.in" पर देखे जा सकते हैं ।

हस्ता / – मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, ९ मार्च, २०११ / १८ फाल्गून, १९३२

9494

No: 6-7/2011-ELN,

Dated: Shimla-171009, the 9th March, 2011

Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh State

**NOTIFICATION** 

9th March, 2011

Under Rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960. Under Section-20A of the Representation of the People Act, 1950, inserted vide Representation of the People (Amendment) Act, 2010, which has come into effect w.e.f. 10th February, 2011, every overseas elector, i.e., Indian citizen who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to employment,

education or otherwise, and has not acquired citizenship of any other country and who is not

included in the electoral roll, is entitled to have his/her name registered in the electoral roll of the

constituency in which his/her place of residence in India as mentioned in his/her passport is located.

In terms of rule 8A of the Registration of Electors Rules, 1960, every overseas elector

whose place of residence in India is located in the State of Himachal Pradesh who has completed

18 years of age as on 01-01-2011, and is desirous of registering his/her name in the electoral roll, is

invited hereby to submit claim application in Form-6A for registration in the electoral roll of the

constituency in which his/her place of residence as shown in the passport is located. Form-6A

alongwith guidelines for the applicants is given below. The claim application in Form-6A may be

either submitted in person directly to the registration officer of the constituency concerned or sent

to such registration officer by post alongwith the documents mentioned in Form-6A and the

guidelines. When the claim application is sent by post, it should be accompanied by photocopies of

the relevant pages of the passport duly attested by the competent official of the Indian mission in

the country concerned.

Addresses of the registration officers of each of the 68 Assembly constituencies in the State

of Himachal Pradesh can be seen on the website "http://ceohimachal.nic.in".

Sd/-Chief Electoral Officer,

Himachal Pradesh.

र्गजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—10

REGISTERED NO. DL-(N)04/0007/2003-10



असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∘ 45

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2010 / भाद्र 31, 1932

No. 45| NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2010 / BHADRA 31, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

# MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 22nd September, 2010/Bhadra 31, 1932 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 21st September, 2010, and is hereby published for general information:—

# THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) ACT, 2010

No. 36 of 2010

[21st September, 2010.]

An Act further to amend the Representation of the People Act, 1950.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:-

 (1) This Act may be called the Representation of the People (Amendment) Act, 2010.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Representation of the People Act, 1950 (hereinafter referred to as the principal

Act), after section 20, the following section shall be inserted, namely:—

"20A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, every citizen of India,—

Insertion of new section 20A

Special provisions for citizens of India residing outside India.

43 of 1950.

# THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 1]

- (a) whose name is not included in the electoral roll:
- (b) who has not acquired the citizenship of any other country; and
- (c) who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise outside India (whether temporarily or not).

shall be entitled to have his name registered in the electoral roll in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.

- (2) The time within which the name of persons referred to in sub-section (1) shall be registered in the electoral roll and the manner and procedure for registering of a person in the electoral roll under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.
- (3) Every person registered under this section shall, if otherwise eligible to exercise his franchise, be allowed to vote at an election in the constituency.".

Amendment of section 22.

- 3. In section 22 of the principal Act,-
- (a) after the words "amend, transpose or delete the entry", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted;
- (b) in the proviso, after the words "proposed to be taken in relation to him", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted.

Amendment of section 23.

- 4. In section 23 of the principal Act, in sub-section (2),-
- (a) after the words "direct his name to be included therein", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted;
- (b) in the proviso, after the words "strike off the applicant's name in that roll", the words "after proper verification of facts in such manner as may be prescribed" shall be inserted.

Amendment of section 28.

- In section 28 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:—
  - "(hh) the procedure for proper verification of facts for amending, transposing or deleting any entry in the electoral rolls, under section 22;
  - (hhh) the procedure for proper verification of facts for inclusion of or striking off, names in the electoral rolls, under sub-section (2) of section 23;".

V. K. BHASIN, Secy. to the Govt. of India. रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33(04/99)

# The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PARTII—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 204]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2011/माघ 14, 1932

No. 204]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2011/MAGHA 14, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना

मई दिल्ली, 3 फरवरी, 2011

का.आ. 244(अ). — केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के परचात, निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2011 है ।
   (2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसको लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36) प्रवृत्त होगा ।
- निर्वाचक रिजस्ट्रीकरण नियम, 1960 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),
   नियम 2 के उपनियम (1) में.—
  - (i) खंड (ख) को पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

'(खर्ख) ''इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र'' का वही अर्थ हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की घारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ध) में हैं ;';

- (ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
- '(गग) ''प्रवासी निर्वाचक'' से घारा 20क में निर्दिष्ट भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत हैं, जो अर्हता की तारीख को अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो.'।
- उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(3क) घारा 20क के अधीन नामावली में सम्मिलित किए जाने के हकदार प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक का नाम, नामावली के उस भाग में सम्मिलित किया जाएगा जो उस स्थान से संबंधित है, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित भारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है "।

387 (11/2011

उक्त नियमों के नियम 8 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"8क. प्रवासी निर्वाचकों के रूप में व्यक्तियों के रिजस्ट्रीकरण के लिए नोटिस देने की रीति— लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 36) के प्रारंग पर और ऐसे अन्य समयों पर जो निर्वाचन आयोग निर्देशित करे, मुख्य निर्वाचन आफिसर, नामावली में प्रवासी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए, धारा 20क के अधीन प्रयासी निर्वाचक के रूप में रिजस्ट्रीकृत होने के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करने वाली एक लोक अधिसूचना जारी करेगा और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार के सभी विदेश स्थित मिशनों को भेजी जाएगी और वह ऐसा प्रधार भी करेगा जिसे वह समीचीन और आवश्यक समझे।

# 8ख. प्रवासी निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करना--

- (1) प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक जो रिजस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा निर्रार्हित न हो तथा जो उस स्थान से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथावर्णित मारत में उसके निवास का स्थान अवस्थित है, रिजस्ट्रीकृत होने का इच्छुंक हो, प्ररूप 6क में संबंधित रिजस्ट्रीकरण आफिसर को सीधे आवेदन कर सकेगा या डाक द्वारा उसे आवेदन भेज सकेगा।
- (2) नियम 13 के उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध प्रवासी निर्वाचक के रुप में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविध्दि की किन्हीं विशिष्टियों या किसी प्रविध्दि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के संबंध में दावा या आपत्तियों को फाइल करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।
- (3) डाक द्वारा भेजे गए प्ररूप 6क के प्रत्येक आवेदक के साथ उक्त प्ररूप में उत्तिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होगी, जो संबद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम पद्मारी द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित होगी ।
- (4) रिजस्ट्रीकरण आफिसर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत प्ररूप 6क में प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त प्ररूप में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न होगी, जिसके साथ रिजस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यपन के लिए उनकी मुल प्रतियां संलग्न की जाएंगी ।
- (5) जहां किसी प्रवासी निर्वाचक के रूप में नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए किसी दावे या आपित के संबंध में कोई व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है तो रजिस्ट्रीकरण आफिसर, यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रयोजन के लिए संबद्ध देश में भारतीय मिशन के किसी पद्धारी को पदामिहित कर सकेंगा ।
- उबत नियमों के नियम 10 के अंत में निम्निलिखत परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"परंतु जहां ऐसे प्ररूप में प्रवासी निर्वाचकों के नाम अंतर्विष्ट हैं, वहां ऐसी नामावलियों की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएंगी ।"।

- 6. उक्त नियमों के नियम 16 के अंत में निम्निलखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्— "परंतु जहां कोई दावा या आपित, प्रवासी निर्वाचक के रूप में किसी व्यक्ति के रिजस्ट्रीकरण से संबंधित है, वहां ऐसे दावों या आपित्तयों की एक सूची उसके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही ऐसे रूप में, जैसा निर्वाचन आयोग आवेश करे, इलैक्ट्रानिक राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी !"।
- उक्त नियमों के नियम 22 में, उपनियम (1) के खंड (ख) के अंत में आने वाले "और" शब्द के पूर्व निम्निखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां किसी नामावली में किसी प्रवासी निर्वाचक का नाम अंतर्विष्ट है तो उसे इलेक्ट्रानिक राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा । "।

- उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम (3) में "9" अंक के स्थान पर "8क" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 26 के उपनियम (1) में, "6" अंक के पश्चात् ",6क" अंक और अक्षर अंतः स्थापित किए जाएंगे ।
- उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 6 के पश्चात् निम्निलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

[ भाग II—खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

"प्ररूप ६क (नियम 8ख देखें)

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में	नाम सम्मिलित किए जाने के किए आवेटन
	वारा वार्य गान का विष् वाविदन
सेवा में,	
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर	इस खाने के भीतर पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला (3.5
समा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	3.5 से.मी.) का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार
	का फोटो चिपकाने के लिए
भारत का राज्य	स्थान
महोदय.	
मैं प्रार्थना करता हूं कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के ! अनुसार मेरा निवास स्थान अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में भाग -	में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए ।
नेर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे	के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :
(क) नाम	
(ख) मध्य नाम	
(ग) उप नाम (घ) जन्म की तारीख दिन मास	4-1
(ड) लिंग (पुरुष / स्त्री)	,वष,
(च) जन्म का स्थान -	
₩ ग्राम/नगर	
(ii) जिला	
(jii) राज्य	
छ) पिता / माता/ पति का ब्यौरा	
(i) नाम	
(ii) men erm	

(ii) मध्य नाम..... (iii) उपनाम...... (ज) भारत में मामुली तौर पर निवास का स्थान (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार पूरा पता)

	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II-SEC. 3(ii)
(i) म	कान/गृह सं	
	नी/क्षेत्र/ परिक्षेत्र/ मोहल्ला/ सङ्क	
(iii) =	गर√ ग्राम	
(iv) 3	डाकघर,	
(v) R	न कोड	
(vi) त	इसील/तालुक/मंडल/थाना	
	मेला	
(झ) पासपोर्ट का	ब्यीरा -	
(i) q	गसपोर्ट संख्या	
	वर्तमान भारतीय कसपोर्ट के जारी होने का स्थान	
(iii) a	र्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने की तारीख	
(iv) q	र्तमान भारतीय पासपोर्ट के अवसान की तारीख	
( उपर मद (क) रं	। (झ) में वर्णित विशिष्टियों को अतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृ	को की गरि गर
द्वारा भेजा जाता है	तो भारतीय मिशन हारा अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप र	र रजिस्टीकरण १
आफिसर के समक्ष	प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न क	₹ I}
(ञ) वर्तमान निवा	स के देश के वीजा का ब्यौरा -	
(i) a	र्गिजा संख्या	
	ीजा का प्रकार (एकल प्रवेश/बहुविध प्रवेश/ पर्यटक/ कार्य वीजा आदि)	
(iii)	वीजा के जारी होने की तारीख	
	वीजा के जारी होने का स्थान	
(v)	वीजा के अवसान की तारीख	
	जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम	
डाक द्वारा भेजा ज	वर्तमान विधिमान्य बीजा पृष्ठांकन को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के र् ाता है तो भारतीय भिशन द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिग प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करे	त रूप से रजिस्ट्रीकरण
2. भारत में मामूली	तीर से निवास के स्थान से अनुपस्थिति का वर्णन	
(क) भारत में मामूली (विवस्ण दें)	। तौर पर निवास के स्थान से अनुपस्थित होने का कारण - (i) नियोजन/ (	ii) शिक्षा/ (iii) अन्य
*******	***************************************	
	ससे भारत में मामूली तौर पर निवास से अनुपस्थित रहा है । (दिन/मास/वर्ष)	
3, भारत श्री बाहर व	हे देश का पूर्ण आवासीय पता, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है,	

संस्था, जहां वह अध्ययन कर रहा है, के स्थान का पता)	
<ul> <li>(क) इस आवेदन मे दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है।</li> <li>(ख) मैं जन्म से/अधिवास से /देशीयकरण द्वारा मारत का नागरिक हूं।</li> <li>(ग) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है।</li> <li>(घ) किन्तु उमर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे नामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित है कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे उमर १(उद्मृत किया गया है।</li> <li>(ङ) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय गिशन के माध्यम से निर्यावक रजिस्त्र अधिकार को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं।</li> <li>(च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियतिन होने पर विवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियतिन होने पर विवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियतिन होने पर विवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियतिन होने पर विवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियतिन होने पर विवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियतिन होने पर विवास के प्रति में कोई प्रतिवास के प्याप के प्रतिवास क</li></ul>	
<ul> <li>(ख) में जन्म सं/अधिवास से /देशीयकरण द्वारा मारत का नागरिक हूं ।</li> <li>(ग) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ।</li> <li>(घ) किन्तु उनर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित ह कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे उत्पर 10 उद्घृत किया गया है ।</li> <li>(छ) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्धावक रजिस्ट्री आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं ।</li> <li>(च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के प्रति में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के प्रति में निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के प्रति में निवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज प्रति में कोई प्रति के से प्रति में कोई प्रति के स्था के प्रति मेरे निवास के देश में मेरे निवास के प्रति में मेरे निवास के प्रति में कोई प्रति के प्रति में कोई प्रति के प्रति मेरे मेरे निवास के देश में मेरे निवास के प्रति में कोई प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति में कोई प्रति के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मिल मेरे मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेर</li></ul>	
<ul> <li>(ख) में जन्म सं/अधिवास से /देशीयकरण द्वारा मारत का नागरिक हूं ।</li> <li>(ग) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ।</li> <li>(घ) किन्तु उनर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित ह कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे उत्पर 10 उद्घृत किया गया है ।</li> <li>(छ) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्धावक रजिस्ट्री आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं ।</li> <li>(च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के प्रति में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के प्रति में निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज पर किस्ता के प्रति में निवास के देश में मेरे निवास के प्रते में कोई प्रियानिक रोज प्रति में कोई प्रति के से प्रति में कोई प्रति के स्था के प्रति मेरे निवास के देश में मेरे निवास के प्रति में मेरे निवास के प्रति में कोई प्रति के प्रति में कोई प्रति के प्रति मेरे मेरे निवास के देश में मेरे निवास के प्रति में कोई प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति में कोई प्रति के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मिल मेरे मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे निवास के प्रति मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेर</li></ul>	
(ग) मन किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है। (घ) किन्तु उसर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित है कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए प्रते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे उधर 1( उद्धृत किया गया है। (ड) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में मारतीय मिशन के माध्यम से निर्धायक रिजर्ट्स आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं। (च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पत्ने में कोई प्रविश्वन होने पर विश्वन करने का	
<ul> <li>(घ) किन्तु उसर 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित है कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा. जिसे उत्पर 10 उद्घृत किया गया है ।</li> <li>(ड) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्धावक रिजर्ट्स आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं ।</li> <li>(च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पते में कोई प्रकार्यन होने पर किस्तित किया के पते में</li> </ul>	
आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं ।  (च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पते में कोई प्रकार्यन होने पर किर्माण कि	छ) में
(च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के यते में कोई प्रक्रिक होने पर किसके कि	कारण
आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं । मैं यह जानता हूं कि मेरे निवास पर भेजा कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अमिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवार देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए निके अधीन मुझे नोटिस की सम्यक तामील समझी जाएगी, और यह मेरा उत्तरविवत्व है कि मेरे वर्त निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को रहूं।	करण गया म के गयमों मान देता
(छ) यदि मैं भारत वापस लौटता हूं और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूं, तो मैं संबंधित वि समा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूंगा।	
(ज) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नागावली में नेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आ नहीं किया है।	विन
(डा) इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेश नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है। या	
मेरा नाम	या या
117.17.54	
(अ) मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है/ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र ज किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है।	ारी
हस्ताक्षर	100

तारीख.....

387 9011-2

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

6

	भाग-ख
(निर्वाचक रजिस्ट्रीय	nरण आफिसर के कार्यालय में प्रयोग के लिए)
(दिन/मास/वर्ष)	को आवेदन प्राप्त हुआ का प्ररूप 6क में आवेदन :-
(क) स्वीकार कर लिया गया है और र सं में क्रम सं पर सम्मिति	उसके नाम को (निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग बत कर लिया ।
<ul><li>(ख) नामंजूर करने के विस्तृत कारण</li></ul>	[निर्वाधक रीजेस्ट्रीकरण आफिसर]
ਭਿਵ	[VI]
, छिड़	
, ਹਿਲ	भाग - ग
(जब व्यक्तिगत रूप	भाग - ग आवेदन की अभिस्वीकृति

[फा. सं. एच-7(18)/98-वि. 2(जिल्ड 4)] एन. कं. नम्मृथिसी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2750(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1219(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा संशोधित किया गया । भारत का राजपत्र : असाधारण

-

# प्ररूप ६क में आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

# साधारण अनुदेश

# प्ररूप 6क किसके द्वारा भरा जा सकता है

- 1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी विदेश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथाउल्लिखित मारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में रिजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रिजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 2 आवेदक ने वर्ष की 1 जनवरी, को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । उदाहरणार्थ, यदि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन 1-1-2011 की अर्हक तारीख के प्रतिनिर्देश से हैं, तो आवेदक द्वारा 1-1-2011 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो ।

# प्ररूप 6क में आवेदन को कहां प्रस्तुत किया जाए

3. आवेदन को उस निर्वाचन क्षेत्र कें, जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिए गए अनुसार आवेदक के मामूली निवास का स्थान आता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (इआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्ररूप 6क में आवेदन को इआरओ को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित इआरओ के डाक पर्ने पर भेजा जा सकता है।

[भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के इआरओ की विशिष्टियां और डाक पते भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (http://eci.nie.in) पर देखी जा सकती हैं]

# संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

- आवेंद्रक के पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला एक हाल ही में खींचा गया आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो चिपकाएं, जिसकी पृथ्ठमूमि हल्के रंग (अधिमानतः सफेद) की हो ।
- प्ररूप ६क के सभी स्तंभ मरें । विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिए गए अनुसार अपना नाम और अन्य विशिष्टियां लिखें ।
- 6. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृथ्वों और विधिमान्य वीजा पृथ्वांकन अन्तर्विष्ट करने वाले पृथ्व की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए । ये फोटो प्रतियां मारतीय मिशन के किसी सक्षम पदधारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित होनी चाहिए । इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के बिना भेजे गए आवेदन सीधे नामजूर किए जाने के दायी होंगे ।
- 7. यदि आवेदन को व्यक्तिगत रूप से इआरओ के समझ प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ उपर यथाउल्लिखित पासपोर्ट के सुसंगत पृथ्वों की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए । रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सल्यापन के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए । सल्यापन के तुरन्त पश्चात् पासपोर्ट को लौटा दिया जाएगा ।

## मतदान

8. यह उल्लेखनीय है कि आप के नामांकन के पश्चात, आप निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने में उस समय समर्थ होंगे यदि आप मतदान के दिवस को अपने मूल पासपीर्ट के साथ मतदान केन्द्र में स्वयं उपस्थित हैं।

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

# (Legislative Department) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2011

- S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely -
  - 1. (/) These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 2011.
  - (2) They shall come into force on the date on which the Representation of the People (Amendment), Act 2010 (36 of 2010) shall come into force.
  - In the Registration of Electors Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules).
     in rule 2, in sub-rule (1).-
    - (i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
    - '(bb) "Electronic Gazette" shall have the same meaning as assigned to it in clause (s) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
    - (ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(cc) "overseas elector" means a citizen of India referred to in section 20A and who is not less than eighteen years of age on the qualifying date
  - In rule 5 of the said rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely.
    - "(3A) The name of every overseas elector who is entitled to be included in the roll under section 20A, shall be included in the part of the roll pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located."
  - 4. After rule 8 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely -
    - \*8A. Manner of giving notice for registration of persons as overseas electors.- On the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 2010 (36 of 2010) and at such other times as the Election Commission may direct, the Chief Electoral Officer may, for the purpose of inclusion of names of overseas electors in the roll, make a public notification requesting every person entitled to be registered as an overseas elector under section 20A and a copy of such notification shall be forwarded to all foreign missions of the Central Government and also make such further publicity as he may consider expedient and necessary.

# 8B. Inclusion of names of overseas electors in the rolls.-

(/) Every overseas elector, who is not otherwise disqualified for registration and is desirous of being registered in the roll for the constituency pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in his passport भारत का राजपत्र : असाधारण

9

- is located, may make an application in Form 6A to the concerned registration officer directly or send the application to him by post.
- (2) The provisions of sub-rules (2), (3) and (4) of rule 13 shall mutatis mutandis apply for filing of claims or objections to the inclusion of name or to any particulars of an entry or for transposition of any entry from one place to another in the roll as an overseas elector.
- (3) Every application in Form 6A sent by post shall be accompanied by copies of all the documents mentioned in the said Form duly attested by the competent official of the Indian Mission in the country concerned.
- (4) Every application in Form 6A presented in person to the registration officer shall be accompanied by photocopies of all the documents mentioned in the said Form alongwith originals thereof for verification by the registration officer.
- (5) Where a personal hearing is necessary in respect of any claim for inclusion or objection to the inclusion of name in the roll as an overseas elector, the registration officer may, if considered necessary, designate an official in the Indian Mission in the concerned country for the purpose.
- In rule 10 of the said rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
  - "Provided that where such draft contains names of overseas electors, the copies of such rolls shall also be published in the Electronic Gazette."
- In rule 16 of the said rules, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-
  - "Provided that where any claim or objection relates to registration of a person as an overseas elector, a list of such claim or objection shall be exhibited on the notice board in his office and shall also be published in the Electronic Gazette in such form as the Election Commission may direct."
- In rule 22 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (b), before the word "and" occurring at the end, the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided that where the roll contains the name of any overseas elector the same shall also be published in the Electronic Gazette."
- In rule 25 of the said rules, in sub-rule (3), for the figure "9", the figure and letter "8A" shall be inserted
- In rule 26 of the said rules, in sub-rule (1), after the figure "6", the figure and letter ".6A" shall be inserted.
- After Form 6 appended to the said rules, the following Form shall be inserted, namely:-

To

[PART II-SEC. 3(ii)]

# "FORM 6A

(see rule 8B)

Application for inclusion of name in electoral roll by an overseas elector

The Electoral Registration Officer, ————————————————————————————————————	Space for pasting one recent passport size photograph (3.5×3.5CM) showing frontal view of full face within this box
Sir.	
I request that my name be included in the electronstituency in which my place of residence, as per the patient below in item 1(h), is located.	toral roll for the rticulars furnished
PART - A	
Particulars in support of my claim for inclusion in t given below:  (a) Name	he electoral roll are
(h) Place of Ordinary Residence in India (Full Add (i) House/Door number. (ii) Street/Area/Locality/Mohalla/Road (iii) Town/Village. (iv) Post Office (v) Pin Code (vi) Tahsil/Taluka/Mandal/Thana. (vii) District. (i) Passport Details - (i) Passport Number (ii) Place of Issue of current Indian Passport.	

[ भाग [1—खण्ड 3(ii) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

11

iii) Date of Issue of current Indian	
passport	
iv) Date of expiry of current Indian	*
passport	

(Copies of the relevant pages of the passport containing the particulars mentioned at items (a) to (i) above to be enclosed—attested by the Indian Mission if sent by post and produced with the original passport if presented in person before the registration officer!

(j)	Details of Visa of the Country of current residence – (i) Visa Number
	(ii) Type of Visa (Single Entry/Multiple
	Entry/Tourist/Work Visa etc.)./
	(iii) Date of issue of
	Visa
	(iv) Place of issue of
	Visa
	(v) Date of expiry of
	Visa
	(vi) Name of the Issuing Authority

{Copies of the relevant pages of the passport containing the current valid visa endorsement mentioned above to be enclosed—attested by the Indian Mission if sent by post and produced with the original passport if presented in person before the registration officer}

- Description of Absence from Place of Ordinary Residence in India-(a) Reason of being absent from the place of ordinary residence in India- (i) employment/ (ii) education/ (iii) other(Give Description)
  - (b) Date from which absenting from ordinary residence in India. (DD/MM/YYYY)
- Full residential address in the country outside India where currently residing
- Full Official address in the country outside India currently residing (address of the place of employment or the education institution where studying).
- Declaration I hereby declare that to the best of knowledge and belief -
  - (a) all information given in this application is true.
  - (b) I am a citizen of India by birth/ domicile/ naturalisation
  - (c) I have not acquired citizenship of any other country.
  - (d) But for being absent from the place of my ordinary residence in India owing to the reason given in 2(a) above, I would have been ordinarily resident at the address given in my Indian Passport, which has been reproduced at 1(g) above.
  - (e) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the Country of my

current residence if I renounce my Indian Citizenship or if I acquire the citizenship of any other country.

- (f) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the country of my current residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral Registration Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the country of my current residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due service of notice to me under the Representation of the People Act, 1950 and the rules made thereunder, and that it is my responsibility to keep the Electoral Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my current residence.
- (g) If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer of the concerned Assembly/Parliamentary Constituency.
- (h) I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.
- (i) My name has not already been included in this or any other constituency.

		Or	2			
was ordi	narily resident	ve been incl Constituency is earlier at the ac- ay be deleted fr	n	Star	e in which I and, if so, I	
Full residence	address	(Earlier	place	of	ordinary	
	Photo Identity	Card (if issued	i) number		Anaeron es es	
		an EPIC in Ind		issued an	EPIC which	
				Ph	nature ace	
		PART	Г – В			

(For use in the	he office of Electoral Registration Officer)
	of Shri/Shrimati/Kumarihas
(constituency) at S.No	as been registered in the electoral roll of
	,
Date	[Electoral Registration Officer]

Note ← The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 2750(E) dated the 11<sup>th</sup> November, 1960 and last amended vide number S.O.1219(E) dated the 15<sup>th</sup> May, 2009

N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Seev.

# GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6A

# General Instructions

# Who can file Form-6A

- Every citizen of India staying in a foreign country, who has not acquired citizenship of a foreign country, and has completed 18 years of age as on 1<sup>st</sup> January of the year, can make an application in Form 6A for being registered in the roll for the constituency pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in the passport is located. The application in Form 6A can be presented to the registration officer concerned.
- The applicant should have completed eighteen years of age as on 1st January of the year. For example, if the application is for inclusion of name in the electoral roll with reference to 01-01-2011 as the qualifying date, the applicant should have completed 18 years of age as on 01-01-2011.

[PART II-SEC. 3(ii)]

# Where to submit the application in Form-6A

3. The application should be submitted directly to the Electoral Registration Officer (ERO) of the constituency within which the place of ordinary residence of the applicant as given in the valid passport falls. The Application in Form 6A can be presented in person to the ERO or sent by post addressed to the ERO concerned.

[The particulars and postal address of the EROs of all the constituencies of India can be seen on the website of Election Commission of India (http://eci.mc.in)]

# Documents to be attached

- 4. Paste one recent passport size coloured photograph with a light background (preferably white) showing the full face of the applicant.
- Fill in all the columns in Form-6A. Write your name and other particulars as given in the valid Indian Passport
- 6. If application is sent by post, it should be accompanied by photo-copy of the relevant pages of the passport containing the photograph and all other particulars of the applicant and the page containing the valid visa endorsement. These photo-copies should be got duly attested by the competent official in the Indian Mission. Applications without the attested photo-copies of these documents will be liable to be summarily rejected.
- If the application is submitted in person before the ERO, the application should be accompanied by a photo-copy of the relevant pages of the passport as mentioned above. The original passport should also be produced alongwith the application for verification by the registration officer. The passport will be returned immediately after verification.

# Voting

9. It may be noted that after your enrolment, you will be able to cast vote in election in the constituency, if you are physically present in the polling station alongwith your original passport on the day of poll.



This is a digitally signed gazette, to verify click here.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 मार्च, 2011/2 चैत्र, 1933

# हिमाचल प्रदेश सरकार

# HOME (PROSECUTION) DEPARTMENT

# **NOTIFICATION**

Shimla-171002, the 31st December, 2010

**No. Home (Pros.)B(14)-10/2010.**—In continuation of this department's notification of No.LLR-B(4)-2/79 dated 28.11.2008, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the retainership fee payable to Sh. Raghu Raj Thakur, Special Public Prosecutor from Rs. 35,000/- to Rs. 55,000/- PM with immediate effect.

By order, Sd/-Principal Secretary, (Home) to the Government of Himachal Pradesh. This issues with the prior concurrence of the FD vide their File No.Fin(PR)B(7)-4/2009-51638977 dated 7-12-2010.

By order, Sd/-Pr. Secretary (Hr. Edu.).

# निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 22 मार्च, 2011

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार का शुद्धि—पत्र संख्याः 6—7/2011—ई.एल.एन., दिनांक 22 मार्च, 2011 को अंग्रेजी रुपान्तर सहित, और भारत सरकार, विधि और न्याय मन्त्रालय (विधायी विभाग) का शुद्धि—पत्र संख्या 264, दिनांक 9 फरवरी, 2011 तदानुसार माघ 20, 1932 (शक) तथा अधिसूचना संख्याः 362, दिनांक 23 फरवरी, 2011 तदानुसार फाल्गुन 4, 1932 (शक) जो प्रवासी निर्वाचक के पंजीकरण के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रुपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

# निर्वाचन विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-171009, 22 मार्च, 2011

संख्याः 6-7/2011-ई,एल.एन.—हिमाचल प्रदेश के राजपत्र, दिनांक 9 मार्च, 2011 में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्वाचन विभाग की अधिसूचना संख्याः6-7/2011, दिनांक 9 मार्च, 2011 में, - पृष्ठ 9493, पंक्ति 21 में, "सम्बद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित" के स्थान पर "सम्यक् रूप से स्वतः अनुप्रमाणित" पढ़ें ।

आदेश से, हस्ता / – मनोज कुमार मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

# **ELECTION DEPARTMENT**

**CORRIGENDA** 

Shimla-171009, the 22nd March, 2011

No: 6-7/2011-ELN.—In the Notification of Election Department, Govt. of Himachal Pradesh No.6-7/2011-ELN, dated 9th March, 2011 published in the Gazette of Himachal Pradesh, dated 9th February, 2011,- at page 9494, in line 21-22, for "duly attested by the competent official of the Indian mission in the country concerned" read "duly self-attested".

By order, MANOJ KUMAR Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh. रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# The Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2011/माघ 20, 1932

No. 264]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011/MAGHA 20, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2011

का,आ, 306(अ),—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 3 फरवरी, 2011 में प्रकाशित भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 में,—

- (i) पृष्ठ 2, पॅक्ति 6 में, "व्यक्ति से" के पश्चात्, "नियम 8ख के अधीन आवेदन करने का" अंत:स्थापित करें;
- (ii) पृष्ठ 4, पॅक्ति 14 में, "भारतीय मिशन द्वारा अनुप्रमाणित" के स्थान पर, "सम्यक् रूप से स्वत: अनुप्रमाणित" पढ़ें;
- (iii) पृष्ठ 4, पॅक्ति 24 मॅं, "भारतीय मिशन द्वारा अनुप्रमाणित" के स्थान पर, "सम्यक् रूप से स्वत: अनुप्रमाणित" पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 5, पॅक्ति 9 में, "1(छ)" के स्थान पर, "1(ज)" पढ़ें ; और
- (v) पृष्ठ 7, पाँकत 26 में, "भारतीय मिशन के किसी सक्षम पद्धारी द्वारा सम्यक् रूप से" के स्थान पर, "सम्यक् रूप से स्वतः" पहें।

[फा. सं एच-7(18)/98-वि. II (जिल्द IV)]

एन. के. नम्पृतिरि, अपर सचिव

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

### CORRIGENDA

New Delhi, the 9th February, 2011

S.O.306(E).—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department number S.O. 244(E), dated the 3rd February, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd February, 2011,—

- (i) at page 8, in line 33, after "section 20 A" insert "to make an application under rule 8B";
- (ii) at page 11, in lines 6-7, for "attested by the Indian Mission" read "duly self-attested";
- (iii) at page 11, in lines 21-22, for "attested by the Indian Mission" read "duly self-attested";
- (iv) at page 11, in line 44, for "1(g)", read "1(h)"; and
- (v) at page 14, in lines 15-16, for "got duly attested by the competent official in the Indian Mission" read "duly self-attested".

[F. No. H-7(18)/98-Leg. II (Vol. IV)]

N.K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.

493 GI/2011

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2011/फाल्गुन 4, 1932

No. 362]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2011/PHALGUNA 4, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2011

का.आ. 426(अ).— केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में,--
  - (क) नियम 8ख के उपनियम (3) में "संबद्ध देश में भारतीय मिशन के सक्षम पदधारी द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित" शब्दों के स्थान पर "स्वयं द्वारा सम्यक् रूप में अनुप्रमाणित" शब्द रखे जाएंगे ;
  - (ख) नियम 10 के परंतुक में "इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र में" शब्दों के पश्चात् "या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
  - (ग) नियम 16 के परंतुक में, "इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र में" शब्दों के पश्चात् "या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
  - (घ) नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) के परंतुक में, "इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र में" शब्दों के पश्चात् "या संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी की शासकीय वेबसाइट में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

[फा. सं. एच-7(18)/98-वि.2(जिल्द. 4)]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

699 GI/2011

[PART II—SEC. 3(ii)]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2750(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया —

- (1) संख्यांक का.आ. 1219(अ), तारीख 15 मई, 2009 I
- (2) संख्यांक का.आ. 244(अ), तारीख 3 फरवरी, 2011 ।
- (3) संख्यांक का.आ. 306(अ), तारीख 9 फरवरी, 2011 ।

# MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

# (Legislative Department)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2011

- S.O. 426(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Registration of Electors (Second Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. In the Registration of Electors Rules, 1960,-
    - (a) in rule 8B, in sub-rule (3), for the words "duly attested by the competent official of the Indian Mission in the country concerned", the words "duly self-attested" shall be substituted;
    - (b) in the proviso to rule 10, after the words "Electronic Gazette", the words "or in the official website of the Chief Electoral Officer of the concerned State" shall be inserted;
    - (c) in the proviso to rule 16, after the words "Electronic Gazette", the words "or in the official website of the Chief Electoral Officer of the concerned State" shall be inserted;
    - (d) in rule 22, in sub-rule (1), in the proviso to clause (b), after the words "Electronic Gazette", the words "or in the official website of the Chief Electoral Officer of the concerned State" shall be inserted.

[F. No. H-7(18)/98-Leg.II (Vol.IV)]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

[भाग II-खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 2750(E), dated the 11th November, 1960 and last amended vide notifications—

- (1) number S.O.1219(E) dated the 15th May, 2009.
- (2) number S.O.244(E) dated the 3<sup>rd</sup> February, 2011.
- (3) number S.O.306(E) dated the 9th February, 2011.

# लोक निर्माण विभाग

# अधिसूचना

# शिमला-2, 19 मार्च, 2011

संख्याः पी.बी.डब्ल्यू (बी) एफ (5) 81/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भाम्बला, उप—तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में ऊना—अघाार—जाहू—भाम्बला—नैरचौक सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

- 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
- 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपकम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
- 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपित्त हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अविध के भीतर भू—अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपित्त दायर कर सकता है।

# विवरणी

जिला	उप–तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र है0 में
मण्डी	बलद्वाडा	भाम्बला / 463	342 / 1	0-09-37
			341 / 1	0-00-16
			343 / 1	0-00-70
			346 / 1	0-02-43
			349 / 1	0-00-58
			350	0-02-73
			351	0-00-22
			352	0-04-58
			353 / 1	0-06-13